उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-3

संख्या- 1043/60-3-15-1(1)/04

लखनऊ: दिनांक 12 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति

तात्कालिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के प्रस्तर-129 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा श्रीमती लीलावती कुशवाहा, हनुमतनगर, जनौरा, रामनगर कालोनी, फैजाबाद को उ0प्र0 महिला कल्याण निगम में अध्यक्ष के पद पर एक वर्ष के लिये एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

2. श्रीमती कुशवाहा को वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1(विविध)/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के प्राविधानुसार मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1043/60-3-15-1(1)/04तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- श्रीमती लीलावती कुशवाहा, हनुमतनगर, जनौरा, रामनगर कालोनी, फैजाबाद।

2- प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री।

3- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।

4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- निगम के संचालक मण्डल के समस्त संचालक।

7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम।

8- निदेशक, महिला कल्याण उत्तर प्रदेश।

9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश के गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

10- प्रमुख् सचिव, ग़ह/गोपन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ को प्रचारार्थ।

12- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

13- प्रोटोकाल अनुभाग।

14 महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव!

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।